## राजस्थान आवासन मण्डल, जयगुर

क्रमांकः - मुण्स0प्र0/आवा./00-01/ 0868

दिनांक: - 24-16. 2000

29

## अध्यक्ष, न्यू इण्डियन पब्लिक स्कूल समिति, हाउसिंग बोई, झून्झुनू , झून्झुनु≬राज0≬

विषयः - डिस्पोजल ऑफ प्रोपटी रेगुलेशन 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत मण्डल की पुरानी आवासीय योजना,झून्झुनू में आवॅटित भूमि का आवॅटन पत्र ।

-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 18-10-2000 को आयोजित बेठक के निर्णय बिन्दु संख्या 29 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार मण्डल द्वारा आपकी संस्था को मण्डल की पुरानी आवासीय योजना,झून्झुनृ में 2390.25 वर्ग मीट<mark>र भूमि स्कूल निर्माण हेतु आय</mark>ेंटेत किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह आवंटन डिस्पोजल आफ प्रोपटी रेगूलेशन एक्ट 1970 की समस्त शर्तो के अनुसार होगा। म् भूखण्ड की कीमत का विवरण

-----

	भूखूण्ड़ की कीमत ≬रू 324 50	प्रति वर्गमीटर	की दर से ≬		7,75,636-00	
	विविध खर्चे की राशि	1			23,269.00	
1	लीज राशि*। एक वर्ष की ।				19,391.00	
NOW		योग			8,18,296.00	
No.	पूर्व में जमा 2 प्रतिशत राभि		§ - §		15,513.00	2 -
J.Y.	धेव जमा कराने योग्य राशि -			a not	8,02.783.00	

उपरोक्त राशि रू. 8,02,783.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम से बनाकर इस पत्र के जारी होने की दिनांक से तीन माह की अवर्धि में संलग्न चालान के द्वारा जमा कराकर चालान की तृतीय प्रति एवं वॉछित प्रपत्र पुर्ण करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

आवॅटन की अर्ते :--

- उपरोक्त राशि निर्धारित अपधि में जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवॅटन धिना विसी पूर्य सुचना के निरस्त कर दिया जावेगा एवँ मण्डल इस भूमि को किसी अन्य संस्था को आवॅटन करने हेत पूर्ण रूप से स्पतन्त्र होगा ।
- (2) वार्षिक लीज राशि रू. 19391.00 अर्द्धवार्षिक किश्तों में दो दार जनवरी एवं जुलाई में जमा करानी होगी। लीज राशि "99 घन तक जमा करानी होगी। संस्था हात 9 वर्ष की कलाया ते न राग एकमुश्त जमा कराने पर मण्डल द्वारा एकमेश्वत लीजराशि का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

Ser. - -

UBLIC HANUMAN SINGH MEHL JHUNJHUNU (RADK) INDIA

.≬3≬	भूखण्ड का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जावेगा जिसके लिये मण्डल ने भूखण्ड आवॅटित किया है।
	किसी अन्य कार्य हेतु भूखण्ड का उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही वाणिज्यिक लाभ कमाने
	की दृष्टि से उपयोग किया जायेगा।
<b>§</b> 4§	संस्था को आवॅटित भूखण्ड पर आवॅटन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराना
होगा।	2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर भूखण्ड व उस पर बने अधूरे भवन को यदि
-	कोई होगा तो मण्डल द्वारा अधिगृहित कर लिया जायेगा जिसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
<b>1</b> 5 <b>1</b>	यदि शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्था के लिये भूमि का आवॅटन हुआ है तो आवॅटी संस्था को उक्त आवॅटित
	भूमिपर निर्मित किये जाने वाले विद्यालय/ प्रश्चिक्षण संस्थान में मण्डल के कर्मचारियों के बच्चों के
(	प्रवेश के लिये 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षित कोटे एवँ 50 प्रतिशत शिक्षण शुल्क ही लिये जाने का
	प्रावधान रखना होगा।
<b>1</b> 6 <b>1</b>	आवॅटित भूखण्ड की चार दीवारी के निर्माण पर लगने वाला व्यय संस्था को वहन करना पडेगा ,
	जिसका निर्माण मण्डल द्वारा कराया जावेगा।

2 11

<sup>--</sup> रूर आयॅटित की गई उक्त भूमि पर मण्डल द्वारा करवाये गये क्मिर्माण की लागत का ऑकलन आवासीय अभियन्ता, खण्ड-झून्झुनू द्वारा किया जाकर इसका वहन संस्था द्वारा किया जावेगा, जो आयॅटिस भूमि की लागत से अतिरिक्त वसुख्र<del>वीय है।</del>

TARY H.S. Mehia Advocate Dist. Jhunihunu Reg. No. 82 CONT. OF

ESTED HANUMAN SINGH MEHKAZO JHUNJHUNU (RAY.) INDIA BLIC

Sistall

£

तकनीकी सहायक≬अध्यक्ष∫ सनस्य सचिव [पीएगी]

तकनीकी सहायक|अच्येश| रायस्य सचिव|पीएत।

प्रतिलिपि : -

i -

2-

3-

उप आवासन आयुक्त, रोजस्यान गण्डल,वृत-द्वितीय, जयपुर। आवासीय अभियन्ता,खण्ड-झून्झुनू, राजस्थान आवासन गण्डल,झून्झुनू । वरिष्ठ नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।

Weine Black and a service

98

प्र. क्र. 4 (नियम 22, 23 तथा 24 (1) के अन्तर्गत) नगर मरेषत झुंझुनूं (राज.) 41235 दिनांक 7-2-2020 6 - 13th 133042 DT- 4-2-2020 श्री 20 HEHIC 5202 37 रूपये शब्दों Eu पंतीप्र का U कारण से 90 th 3196 2700 अवधि..... के लिए। चिम्न मांग के भुगतान स्परूप पूर्णत: /अंशत: प्राप्त वि प्रगामी प्रसंग मांग व संग्रहण पंजिका का क्रमाक व्य समिति दिनाक 間 विपत्र संख्या स्त. 41235 दिनांक T- 2.2020

.

6